Policy in view of the underlined principles of the Scheme to allow duty free inputs which are required for manufacture of the product.

(e) to (g) There has been no gross misuse of the Scheme; However, Director General of Revenue Intelligence have investigated into the misuse of this Scheme and have reported that a few cases were investigated by them. A list of these cases has been given in answer to Rajya Sabha Unstarred Question No. 55 dated 22nd February, 94.

(h) and (i) No, Sir. Such Value Based Advance Licences can be operated after getting them endorsed for the import of items as per the Policy relating to current list of Sensitive Items.

Misuse of Import Licences Issued under Value Based Advanced Licensing Scheme

734. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI BAPU KALDATE:
SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the misuse of import licences issued during 1993 under the Value-based Advanced Licensing Scheme on a large scale has come to the notice of Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the manner in which Government propose to act in the matter?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) complaints about misuse of Value-based Advance Licencesg under Duty Exemption Scheme for import of Plastic raw materials have been received. These complaints contain allegations regarding import of large quantity of Plastic raw materials dis-proportionatc to the exports made and over invoicing of export product.

(c) The complaints are being looked into under the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. The following steps have been taken to minimise the misuse of Value Based Advance Licensing Scheme:

(i) The Government has placed 20 items under sensitive list vide Public Notice No. 163/(PN)/ 92—97 dated 14.9.93.

(ii) Anti-dumping duty has been imposed on import of plastic raw materials.

(iii) The operation of Value-Based Advance Licences issued prior to 14.9.93 in respect of items now in the Sensitive list against which neither imports nor exports have to place, has been suspended w.e.f. 25.1.94 until re-enhancement is got made restricting import as per the latest Sensitive list notificaiton by the Govt.

735. *[Transferred to 3rd March, 1994*\

Hotel chains allowed to invest abroad

736. SHRI RAJUBAI A. PARMAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some enterprising hotel chains in India have been allowed to invest in the setting up of hotels abroad, and if so, what are the details thereof including the investment allowed to each of such hotel chains and profit/loss made by them; and

(b) wheter Government have given or considering to give incentives to the Indian Hotel Industry to expand abroad, particularly inview of the present globalisation policy of Government?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) As per available information, details of major Indian hotel chains that have been allowed to invest in hotels abroad are in the statement annexed. *[See* Appendix 170, Annexure No. 14]

Guidelines for Indian investment

overseas have liberalized both the policy and procedure for establishment of joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad including those by the Hotal Industry.

देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

737. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1994 को देशभर में रोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) उनमें से, पुरूषों और महिलाओं की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ग) इनमें से 1 जनवरी, 1993 से 1 जनवरी, 1994 के बीच कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(घ) इन सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा और इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (घ) 30.11.1993 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, तथा 1 जनवरी, 1993 से 30 नवम्बर, 1993 की अवधि के दौरान रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नन प्रकार है:—

संख्या हजारों में

	पुरूष	महिलाएं	कुल
1. चालू रजिस्टर पर संख्या	28404.2	7847.9	36252.1
2. रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या	173.7	39.0	212.8*

(*अंतर पूर्णांकों के कारण)

8वीं योजना में परिकल्पित नीति का उद्देश्य वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है। भौगोलिक रूप से और फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा खनिकी का विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्र वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व है।

बाल श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

738. **श्रीमती सत्या बाहिन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) बाल श्रमिकों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार की क्या भूमिका है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) इस वार्षिक जन-गणना के माध्यम से प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध हैं। 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित किए जाने हैं। आधार-भूत सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अभिन्न-भाग हैं जिन्हें बाल-श्रम बहुलता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

(ख) पांच राज्यों में, जिसके अन्तर्गत 7000 बालकों को शमिल किया गया है, बाल श्रमिकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए नौ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कार्योन्मुखी परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिलहाल सात ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 2310 बालकों को शमिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता प्राप्त आई पी ई सी (अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम) नामक एक परियोजना 14 राज्यों में 60 परियोजनाओं के माध्यम से जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कुल 331935 बालकों को शामिल किया गया है, कार्यान्वित की जा रही है।